मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ
फोन नं0–0522–7166522 ई मेल–lkomdm@gmail.com Website: www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-2509/2023–24 दिनांकः 23 नवम्बर, 2023

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में हॉट कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु संयुक्त गाईडलाईन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांकः बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0–हॉटकुक्डफूड/2023–24 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 तथा प्राधिकरण के पत्रांकः म0भो0प्रा0 C–2289/2023–24 दिनांक 01 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के बच्चों के लिए को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में हॉट कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु संयुक्त गाईडलाईन निर्गत की गयी हैं।

उक्त गाईडलाईन्स के अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रसोईया एवं को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्री/सहायिका द्वारा संयुक्त रूप से मध्यान्ह भोजन एवं हॉट कुक्ड फूड तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थित तथा विद्यालय से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों अर्थात को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु हॉट कुक्ड फूड मध्यान्ह भोजन के साथ ही बनवाया जायेगा।
2. उक्त हॉट कुक्ड फूड मध्यान्ह भोजन के मेन्यू के अनुसार (फल तथा दूध छोड़कर) तथा विद्यालयों में निर्धारित मध्यावकाश की अवधि में ही वितरित किया जायेगा।
3. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की 200 मीटर की त्रिज्या में आने वाले केन्द्र का भोजन किस विद्यालय की रसोई में तैयार कराया जायेगा, उन आंगनवाड़ी केन्द्रों सम्बद्धता का निर्णय संबंधित जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा, जिसकी सूचना संबंधित जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उक्त हॉट कुक्ड फूड तैयार करने में आंगनवाड़ी केन्द्रों की सहायिकाओं द्वारा रसोइयों को सहायता/सहयोग प्रदान किया जायेगा।
5. जिन विद्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उन विद्यालयों से सम्बद्ध को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकः बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0–हॉटकुक्डफूड/2023–24 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा निर्गत संयुक्त गाईडलाईन के अनुरूप जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6. हॉट कुक्ड फूड के अन्तर्गत को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों हेतु प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम खाद्यान्न गरम पके भोजन के रूप में बच्चों को खिलाने की व्यवस्था की गयी है। इसी अनुसार जिला स्तर पर हॉट कुक्ड़ मील योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थाये की जायेंगी।
7. हॉट कुक्ड फूड तैयार किये जाने हेतु खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री यथा–दाल, सब्जी, तेल, मसाले एवं ईंधन आदि की व्यवस्था बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने संसाधनों से को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सुनिश्चित की जायेगी, जिसे सम्मिलित करते हुए मध्यान्ह भोजन एवं हॉट कुक्ड फूड रसोईया एवं सहायिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कर बच्चों को वितरित कराया जायेगा।
8. मध्यान्ह भोजन के साथ हॉट कुक्ड फूड तैयार किये जाने हेतु पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोईया को रू0 0.50 प्रति बच्चा प्रति कार्य दिवस (आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों हेतु) के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा रसोईयों के खाते में अंतरित किया जायेगा।
9. उक्त रसोईयों के खाते इत्यादि का विवरण संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भोजन परोसने तथा बच्चों के खाना खाने के बर्तनों की अनुपलब्धता (प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच आदि) की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था संबंधित जिले के जिलाधिकारी के मार्ग–दर्शन में सुनिश्चित करेंगे।
11. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर समय से भोजन पहुँचाने तथा बच्चों को गर्म एवं ताजा भोजन वितरित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित आंगनवाड़ी सहायिका की होगी।
12. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश की स्थिति में हॉट कुक्ड फूड तैयार करने एवं वितरित करने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका की होगी।
13. अवकाश अवधि में विद्यालय की चाभी प्रधानाध्यापक से आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्राप्त की जायेगी।
14. को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों का हॉट कुक्ड मील प्राथमिक विद्यालय के किचन से आंगनवाड़ी केन्द्र तक ले जाने तथा आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले बच्चों को स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हॉट कुक्ड मील परोसने का दायित्व सम्बन्धित आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उक्त व्यवस्था प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी लागू होगी।
15. हॉट कुक्ड मील में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की समुचित रूप से साफ–सफाई रखने का दायित्व भी आंगनवाड़ी सहायिका का होगा।
16. आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा भोजन के पूर्व तथा पश्चात सभी बच्चों के हाथ धुलाये जायेंगे।
17. हॉट कुक्ड मील में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की सफाई के पश्चात स्वच्छ व सुरक्षित स्थान पर रखने एवं हॉट कुक्ड मील स्वच्छ स्थान पर खिलाने की व्यवस्था हेतु भी आंगनवाड़ी सहायिका उत्तरदायी होगी।

18. पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइया द्वारा मात्र को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु पी0एम0 पोषण के मेन्यू की भॉति प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम की मात्रा के अनुसार भोजन की सामग्री (सब्जी, दाल, तेल, मसाले इत्यादि एगमार्क/FSSAI मानकानुसार) आंगनवाड़ी कार्यकत्री/प्रधान से प्राप्त करते हुए हॉट कुक्ड मील तैयार किया जायेगा।

अतः अपेक्षित है कि अपने कुशल मार्ग–दर्शन में उपर्युक्त दिशा–निर्देशों एवं संयुक्त गाईडलाईन दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक

प्रेषक,

1. निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : —/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0—हॉटकुक्डफूड/2023—24 दिनांक : 26 अक्टूबर, 2023

विषय : आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए को—लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में हॉट कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु संयुक्त गाईडलाईन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत बाल विकास योजना एक शीर्ष कार्यक्रम है। भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश संख्या—11/4/2021—CD—I(e-95706) दिनांक 01.08.2022 द्वारा "सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0" के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्र पर आने वाले 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के आयु के बच्चों को गर्म पका भोजन दिये जाने के निर्देश हैं।

भारत सरकार द्वारा 03 से 06 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किये जाने हेतु रू0 8.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन (माह में 25 दिन) अनुमन्य है। इस धनराशि में से रू0 3.50 प्रति लाभार्थी मार्निंग स्नैक के रूप में टी0एच0आर0 वितरित किया जा रहा है तथा शेष रू0 4.50 प्रति लाभार्थी हाट कुक्ड मील योजना पर व्यय किया जाना है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा हाट कुक्ड मील योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या—50/2023/1353/58—1—2023—54—2003/141/2019 दिनांक 12.10.2023 द्वारा दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस क्रम में हाट कुक्ड मील योजना के संचालन, स्वच्छता, एवं भोजन की गुणवत्ता तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु निम्नवत् संयुक्त दिशा—निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :—

1— योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था

1.1 **को—लोकेटेड (Co-Located) आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरम पका भोजन योजना संचालन हेतु व्यवस्था**—प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयो में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरम पका भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थापित किचन (रसोंईघर) में विद्यालय के रसोईये द्वारा भोजन बनाया जायेगा, जिसमें आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में हाट कुक्ड मील भोजन उपलब्ध कराने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों को समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करते हुए प्राथमिक विद्यालय में ही हाट कुक्ड मील तैयार कराया जायेगा। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की 200 मीटर की त्रिज्या में आने वाले केन्द्र का भोजन किस विद्यालय की रसोई में तैयार कराया जायेगा, उन आंगनवाड़ी केन्द्रों की सम्बद्धता का निर्णय सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा। उक्त कार्य जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 10 नवम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये।

1.2 पी0एम0 पोषण योजना (मध्यान्ह भोजन योजना) के अन्तर्गत कतिपय जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या—6/2015/541/79—6—2015 दिनांक 13.08.2015 के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त जनपदों के जिन विद्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से पी0एम0 पोषण योजना संचालित हो रही है, ऐसे विद्यालयों के प्रांगण में स्थित

आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र, जो उन विद्यालयों से हाट कुक्ड मील योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बद्ध किये गये हैं, में समरूप व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 13.08.2015 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हॉट कुक्ड मील दिये जाने हेतु भी अपनाया जायेगा।उक्त शासनादेश की भांति बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–50/2023/1353/58–1–2023–54–2003/141/2019दिनांक 12.10.2023 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर–1.7 में यह व्यवस्था की गयी है कि जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या– 6/2015/541/79–6–2015, दिनांक 13.08.2015 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। अतः बेसिक शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 13.08.2015 में वर्णित व्यवस्था में जिन विद्यालयों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पी०एम० पोषण योजना संचालित हो रही है, ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों में समरूप व्यवस्था उक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हॉट कुक्ड मील दिये जाने हेतु भी अपनाया जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु ऐसी संस्थाओं को नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के स्तर से किया जायेगा व भुगतान वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

1.3 शासनादेश संख्या–50/2023/1353/58–1–2023–54–2003/141/2019 दिनांक 12.10.2023 के प्रस्तर संख्या–1.4 द्वारा हाट कुक्ड मील योजना हेतु रु0 4.50 प्रति लाभार्थी प्रति दिन की धनराशि के मदवार विभाजन हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकृत किया गया है। उक्त मदवार विभाजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र0सं0	मद	धनराशि (रु0 में)
1	कन्वर्जन कॉस्ट (दाल, सब्जी, तेल, मसाले आदि) व ईंधन हेतु	3.75
2	खाद्यान्न (गेहूं, चावल का क्रय व परिवहन व्यय सहित)	0.25
3	रसोईया (पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत) का पारिश्रमिक	0.50 *
	कुल योग	4.50

* नॉन को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जहां भोजन सहायिका द्वारा तैयार किया जायेगा, वहां रु0 0.60 कन्वर्जन मद में सम्मिलित कर व्यय किया जायेगा।

2–खाद्यान्न का उठान एवं भण्डारण

2.1 हॉट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न यथा फोर्टिफाइड चावल व गेहूं आदि को कोटेदार से प्राप्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह A Class/FAQ (Fair Average Quality) से कम मानक का न हो। कोटेदार से खाद्यान्न उठान के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैंपल कोटेदार की दुकान पर तथा आगनवाडी केन्द्र पर सुरक्षित रखा जाये। एक–एक पैकेट जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा समस्त सीडीपीओ को उपलब्ध कराया जाये जिससे कि आंगनवाडी सेन्टर के निरीक्षण के समय इस सैंपल से खाद्यान्न की गुणवत्ता का मिलान किया जा सके। जहां पर खाद्यान्न रखा जाये वहां सुनिश्चित किया जाये कि वह स्थान साफ एवं सूखा हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करते समय खाद्यान्न की मात्रा का वजन किया जाये, जिससे घटतौली की आशंका न रहे। आंगनवाडी केन्द्र हेतु आवंटित खाद्यान्न पूर्ण मात्रा में आंगनवाडी केन्द्र को प्राप्त हों। जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाडी केन्द्र स्तर पर एक माह बफर स्टाक के रूप में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

2.2 खाद्यान्न उठान मे पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आंगनवाडी केन्द्र की हॉट कुक्ड फूड पंजिका में ग्राम प्रधान, आंगनवाडी कार्यकत्री व कोटेदार के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जाये।

3— खाद्यान्न लागत, परिवहन व्यय, परिवर्तन लागत एवं रसोईया मानदेय का भुगतान

3.1 जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा खाद्यान्न की आवश्यकता का आकलन (पिछले त्रैमास हेतु उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का समायोजन करते हुए) कर प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह की 05 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 निदेशालय द्वारा जनपदों की मांग के आधार पर आवंटित खाद्यान्न (गेंहू तथा फोर्टिफाइड चावल) जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के वेबसाईट https://fcs.up.gov.in/ पर फीड कराकर आवंटन के दो दिवस के भीतर लाक किया जायेगा, जिससे सुचारू रूप से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3.3 हॉट कुक्ड मील योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जायेगा। खाद्यान्न हेतु भुगतान खाद्य एवं रसद विभाग को निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रूप से अग्रिम के रूप में किया जायेगा।

3.4 पी०एम० पोषण योजना की भांति रियायती दरों (कोटेदार का मार्जिन महित कुल रू0 75.00 प्रति कुन्तल) पर खाद्यान्न का परिवहन व हैण्डलिंग कराने की व्यवस्था तथा परिवहन व हैण्डलिंग पर आने वाले व्यय का भुगतान खाद्य तथा रसद विभाग को निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जायेगा।

3.5 जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवर्तन लागत, रसोईयां मानदेय एवं समस्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की धनराशि सक्षम स्तर से आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त 15 दिवस के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से आवश्यकतानुसार अन्तरित हो जाय।

4—हाट कुक्ड मील हेतु बर्तन/सामग्री इत्यादि की व्यवस्था

4.1 को—लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन परोसने तथा बच्चों के खाना खाने के बर्तनों की अनुपलब्धता (प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच आदि)की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम को—लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिलाधिकारी का होगा।यदि पूर्व की किसी योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बर्तन आदि उपलब्ध कराये गये हैं; तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता को सुनिश्चित करते हुए ही नये बर्तनों के क्रय की कार्यवाही क्रय/वित्तीय नियमों का पालन करते हुये की जायेगी। किसी भी स्थिति में अनावश्यक क्रय की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

4.2 हाट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत निर्धारित कन्वर्जन कास्ट से क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री के क्रय की कार्यवाही ग्राम प्रधान (ग्रामीण क्षेत्रों)/सभासद (शहरी क्षेत्रों) एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से हॉट कुक्ड मील वितरित किया जायेगा, उन केन्द्रों में कनवर्जन कास्ट से सम्बन्धित सामग्री इत्यादि की व्यवस्था स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा की जायेगी।

5— हाट कुक्ड मील के पकाने की व्यवस्था

आंगनवाडी केन्द्र में हॉट कुक्ड मील पकाने हेतु आंगनवाडी कार्यकत्री तथा रसोईया (केवल को—लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए) द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी :—

5.1 हाट कुक्ड मील योजना हेतु को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन का मेन्यू प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के समरूप होगा। मेन्यू के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

5.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार हाट कुक्ड मील योजना में प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम खाद्यान्न गर्म पके भोजन के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को खिलाने की व्यवस्था की गयी है। इसी अनुसार जिला स्तर पर हाट कुक्ड मील योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

5.3 खाना बनाते समय रसोईयों/आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा सिन्थेटिक नायलान एवं रेशमी कपड़े आदि का प्रयोग न करके सदैव सूती कपड़े का प्रयोग किया जाय।

5.4 भोजन को संक्रमित होने से रोकने एवं कीड़े–मकोड़ों से बचाव के लिये भोजन पकाने के पूर्व, पकाने के दौरान, भोजन वितरण करने तथा वितरण के पश्चात रसोईघर, बर्तन व खाद्य सामग्री की स्वच्छता तथा साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय।

5.5 खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की भली प्रकार सफाई कराकर ही भोजन बनाने में प्रयोग किया जाए। चावल पकाने से पूर्व उसे साफ पानी से भली प्रकार धोया जाय।

5.6 भोजन स्वच्छ ईंधन से ही पकाया जाए। गैस सिलेण्डर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर स्टोव आदि की जाँच करते रहें तथा खराब होने पर तत्काल सूचित करें।

5.7 भोजन पकाने में निर्धारित मेन्यू के अनुसार ताजी हरी मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाए, हरी पत्तेदार एवं अन्य सब्जियों को प्रयोग से पूर्व कम से कम 2–3 बार धोने के उपरान्त ही प्रयोग में लाया जाय।

5.8 मेन्यू में निर्धारित दिवस में रोटी अवश्य बनाई जाए रोटी न तो कच्ची रहे और न ही जली हुई हो, इसका ध्यान अवश्य रखा जाए।

5.9 भोजन बनाते समय पूर्ण सतर्कता बनाये रखें एवं बच्चों व किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ न आने दें। खाना पकाते समय व पकाने के पश्चात् बर्तनों में ढक्कन अवश्य प्रयोग करे, इससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है तथा ईंधन की बचत होती है।

5.10 विद्यालय में निर्मित रसोईघर में ही भोजन पकाया जाना सुनिश्चित किया जाय, किसी भी दशा में खुले में भोजन पकाने की अनुमति न दी जाय रसोईघर के अन्दर एवं बाहर जाले न लगे हों, किचेन के आस–पास उगी हुई घास को कटवा दिया जाए तथा रसोईघर की खिडकी में महीन जाली अवश्य लगी हो। रसोईघर में मकड़ी छिपकली एवं अन्य जीव जन्तु नहीं होने चाहिये।

5.11 हॉट कुक्ड मील योजनान्तर्गत स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।

5.12 भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सम्पूर्ण सामग्री मानकानुसार हो, यथा–आयोडीन युक्त नमक, एगमार्क /FSSAI मसाले एवं सीलबन्द तेल आदि मसालों को भी एयरटाइट बर्तनों में रखा जाये। अच्छे ब्रांड का तेल प्रयोग में लाया जाय तथा खुले तेल का प्रयोग न किया जाये खाद्य सामग्री के डेट भी चेक कर ली जाये। एक्सपायरी डेट के बाद उस समाग्री का प्रयोग कदापि न किया जाये।

5.13 सोयाबीन की बड़ी उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। सोयाबीन की बड़ी पुरानी व अधिक दिनों की न हों क्योंकि उसमें कीड़े पड़ने की सम्भावना अधिक रहती है।

5.14 प्रत्येक माह जनपद के रैण्डम आधार पर चयनित कम से कम 10 आंगनवाड़ी केन्द्र पर भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैम्पल को निर्धारित प्रक्रियानुसार इकट्ठा कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच करायी जाय। सैम्पल फेल होने की दशा में दोषी व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय तथा उसका पूर्ण विवरण जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा रखा जायेगा और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पोषण समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाय। यह दायित्व सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

6– हाट कुक्ड मील के वितरण की व्यवस्था

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हाट कुक्ड मील हेतु भोजनावकाश की समयावधि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की भांति रहेगी। आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा भोजनावकाश में हाट कुक्ड भोजन का वितरण निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार कराया जायेगा :–

6.1 भोजनावकाश की अवधि में ही भोजन तैयार कर वितरण कराया जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भोजन भोजनावकाश से पूर्व तैयार हो जाय।

6.2 गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि खाने को कम से कम दो व्यस्क व्यक्तियों (अध्यापक/अध्यापिका/रसोइया/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/मां समूह) द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन भोजन को चखने के उपरान्त गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बच्चों को भोजन वितरित कराया जाय।

6.3 विद्यालय स्तर पर भोजन चखने हेतु प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापक/अध्यापिका/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/अन्य अभिभावक का दिवसवार रोस्टर तैयार किया जाय तथा रोस्टर रजिस्टर का रख–रखाव किया जाय, जिसमें प्रतिदिवस भोजन चखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम अंकित हो तथा उसके हस्ताक्षर भी कराये जायें। यदि रोस्टर के आधार पर कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो तो अन्य सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा भोजन चखा जाय एवं भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में टिप्पणी भी अंकित की जाय।

6.4 भोजन ग्रहण करने से पूर्व एवं भोजन ग्रहण करने के उपरान्त बच्चों द्वारा स्वच्छ जल एवं मेडिकेटेड साबुन से भली प्रकार हाथों को अवश्य धोया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बच्चों के बर्तन साफ हों। साथ ही रसोईयों द्वारा भी साबुन से हाथ धोकर ही भोजन तैयार किया जाये।

6.5 विद्यालय में डायनिंग शेड उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरे स्थान पर चटाई पर पंक्तिबद्ध रूप से उचित दूरी पर बैठाकर सौहार्द पूर्ण वातावरण में भोजन परोसा जाय।

6.6 यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य दिवस में पके–पकाये भोजन का सैम्पल विद्यालय के बन्द होने तक सुरक्षित रखा जाय।

6.7 जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिका उपलब्ध है, उन केन्द्रों में पोषण वाटिका से प्राप्त होने वाली शाक–सब्जी को हाट कुक्ड मील भोजन में सम्मिलित कर भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाय।

7– पेयजल स्रोत की स्वच्छता हेतु व्यवस्था

7.1 विद्यालय में उपलब्ध हैण्डपम्प/हैण्डवाश यूनिट के आसपास की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा पानी की निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था करायी जाय। इस हेतु पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाय।

7.2 विद्यालय में इस्तेमाल होने के उपरान्त निष्प्रयोज्य पानी के सुरक्षित निपटान हेतु सोख्ता गड्ढा तैयार कराया जाय, जिससे कि गंदा पानी भूगर्भ जलस्रोत को संक्रमित न कर सके।

7.3 भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्ट–बिन में फेंका जाय। धोये गये बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोईघर में ही रखा जाय। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अवशेष भोजन एवं जूठन के निस्तारण की यथा–आवश्यक व्यवस्था की जाय।

7.4 त्रैमास में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में स्थापित हैण्डपम्प से उपलब्ध हो रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से जल निगम के द्वारा करायी जाय तथा इसके निष्कर्ष को रिकार्ड विद्यालय स्तर पर रखा जाय। पेयजल दूषित पाये

जाने की दशा में जल निगम द्वारा तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

7.5 पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण से सम्बन्धित बिन्दु पर जल निगम के अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

8–स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित

8.1 भोजन पकाने वाले रसोइये एवं आंगनवाड़ी सहायिका स्वच्छता से कार्य करने के साथ–साथ स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। रसोईयों एवं आंगनवाड़ी सहायिका का स्वास्थ्य परीक्षण छमाही/वार्षिक अवश्य कराया जाये। यदि कोई संक्रामक रोग है, तो रसोईघर का कार्य न कराया जाये।

8.2 प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये।

8.3 स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड सम्पूरण निर्धारित समय पर हॉट कुक्ड मील भोजन के पश्चात अनिवार्य रूप से खिलाई जाये। साथ ही वर्ष में दो बार निर्धारित दिवस में कृमिनाशक गोली भी अवश्य खिलाई जाये। जिनका अंकन पंजिका पर पृथक रूप से किया जाये।

8.4 हाट कुक्ड मील वितरण के दौरान कोविड–19 तथा अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उक्त का दायित्व सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का होगा।

9– कार्य एवं दायित्व

9.1 आंगनवाड़ी कार्यकत्री

- प्रत्येक माह ग्राम प्रधान द्वारा खाद्यान्न का कोटेदार से उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्र तक उपलब्ध कराने के उपरान्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा खाद्यान्न का स्टाक पंजिका पर प्राप्ति, वितरण एवं अवशेष का अंकन किया जायेगा। साथ ही कोटेदार से ली जाने वाली सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रारूप–6 संलग्न) पर लेगी।
- हाट कुक्ड मील रजिस्टर पर प्रतिदिन 03 से 06 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते हुए भोजन की मात्रा का अंकन किया जायेगा।
- ग्राम प्रधान से समन्वय करते हुए भोजन में प्रयुक्त होने वाली कन्वर्जन कास्ट की धनराशि का समय से आहरण किया जायेगा एवं सामग्री आदि का क्रय किया जायेगा। साथ ही प्रतिदिन धनराशि का आहरण, व्यय एवं अवशेष का पंजिका व पोर्टल में अंकन किया जायेगा।
- 03 से 06 वर्ष के बच्चों को अपनी देख–रेख में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए हॉट कुक्ड मील का वितरण कराया जायेगा तथा प्रतिदिन हाट कुक्ड मील की सूचना पोषण ट्रैकर ऐप, पंजिका एवं पोर्टल पर फीड किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा निर्धारित प्रारूपों (प्रारूप–1, 2, 3, 4, 5 व 6 संलग्न) पर सूचना प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को अनिवार्य रूप से मुख्य सेविका को प्रेषित किया जायेगा।
- हाट कुक्ड मील की गुणवत्ता का सैंपल 24 घंटे तक आंगनवाड़ी केन्द्र पर सुरक्षित रखा जायेगा।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के किचेन में तैयार अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आपूर्ति किये गये हाट कुक्ड मील को बच्चों को खिलाने से पूर्व प्रत्येक दिवस 02 व्यक्तियों को चखाते हुए गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बच्चों को भोजन वितरित किया जायेगा।

- जिन को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हाट कुक्ड मील उपलब्ध कराया जायेगा, उन केन्द्रों में हाट कुक्ड मील को आंगनवाड़ी सहायिका से समय से केन्द्र तक पहुंचवाना व बच्चों को गर्म तथा ताजा भोजन वितरित करवाना।
- जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हाट कुक्ड मील उपलब्ध कराया जायेगा, उन केन्द्रों की आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा भी केन्द्र में प्रतिदिन गाड़ी आने का समय, आपूर्तित हॉट कुक्ड मील (कितने बच्चों का दिया गया है, की मात्रा/संख्या) व अन्य विवरण एक पृथक रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा।
- अवकाश अवधि में विद्यालय की चाभी प्रधानाध्यापक से आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्राप्त की जायेगी। इस अवधि में विद्यालय की सुरक्षा एवं टूट–फूट की समस्त जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकत्री की होगी।

9.2– आंगनवाड़ी सहायिका (को–लोकेटड केन्द्र) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र

- को–लोकेटड आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों का हाट कुक्ड मील प्राथमिक विद्यालय के किचन से आंगनवाड़ी केन्द्र तक ले जाने तथा आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले बच्चों को स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हाट कुक्ड मील परोसने का दायित्व सम्बन्धित आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उक्त व्यवस्था प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी लागू होगी।
- हाट कुक्ड मील में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की समुचित रूप से साफ–सफाई रखने का दायित्व भी आंगनवाड़ी सहायिका का होगा।
- आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा भोजन के पूर्व तथा पश्चात सभी बच्चों के हाथ धुलाये जायेंगे।
- हाट कुक्ड भील में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की सफाई के पश्चात स्वच्छ व सुरक्षित स्थान पर रखने एवं हाट कुक्ड मील स्वच्छ स्थान पर खिलाने की व्यवस्था हेतु भी आंगनवाड़ी सहायिका उत्तरदायी होगी।
- जिन को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हाट कुक्ड मील उपलब्ध कराया जायेगा, उन केन्द्रों में हाट कुक्ड मील को समय से केन्द्र तक पहुंचाना व बच्चों को गर्म तथा ताजा भोजन वितरित करना।

9.3– सोइया/आंगनवाड़ी सहायिका

- को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु पी0एम0 पोषण के मेन्यू की भांति प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम की मात्रा के अनुसार भोजन की सामग्री (सब्जी, दाल, तेल, मसाले इत्यादि एगमार्क/FSSAI मानकानुसार) आंगनवाड़ी कार्यकत्री/प्रधान से प्राप्त करते हुए हाट कुक्ड मील तैयार किया जायेगा।
- हाट कुक्ड मील बनाते समय स्वच्छता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा।

9.4–मुख्य सेविका

- सेक्टर के प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर अपने पर्यवेक्षण में हाट कुक्ड मील पकाने एवं वितरण हेतु पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर निर्धारित प्रारूपवार पंजिकाओं पर सूचनाओं का अंकन नियमित रूप से कराये जाने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से कराने हेतु उत्तरदायी होंगी।
- क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री से प्राप्त निर्धारित प्रारूपों के अनुसार रिपोर्ट को संकलित करते हुये प्रत्येक माह की 02 तारीख तक अनिवार्य रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- ग्राम प्रधान/आंगनवाड़ी कार्यकत्री से समन्वय स्थापित करते हुए हाट कुक्ड मील वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगी।
- कन्वर्जन कास्ट एवं पारिश्रमिक का ससमय नियमित भुगतान सुनिश्चित करायेंगी।

- क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर हाट कुक्ड मील वितरण से पूर्व किन्हीं 02 व्यक्तियों द्वारा खाने को चखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।
- क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा सेक्टर स्तरीय बैठक में हाट कुक्ड मील योजना के संचालन, रिपोर्टिंग, पोषण ट्रैकर ऐप एवं पोर्टल पर फीडिंग, पंजिकाओं पर अंकन तथा समायोजन इत्यादि का प्रत्येक माह नियमित गहन अनुश्रवण किया जायेगा। साथ ही मुख्य सेविका द्वारा बैठक के कार्यवृत्त को बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति सहित पंजिका पर अंकित किया जायेगा। इस हेतु मुख्य सेविका पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।
- ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों जहां पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हाट कुक्ड मील की आपूर्ति की जा रही है, वहां मुख्य सेविका द्वारा विशेष सजगता बरतते हुए गर्म, ताजा एवं गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवकाश अवधि में विद्यालय की चाभी प्रधानाध्यापक से आंगनवाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। मुख्य सेविका का यह भी दायित्व होगा कि अवकाश अवधि में विद्यालय को सुरक्षित रखने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्री को निर्देशित किया जायेगा। यदि इस अवधि में विद्यालय में कोई टूट–फूट होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकत्री की होगी।

9.5–खण्ड शिक्षा अधिकारी

- को–लोकेटड आंगनबाड़ी केन्द्र के 03 से 06 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील पकाये जाने हेतु प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में यदि रसोइया की संख्या एक से अधिक है तो समस्त रसोईयों के मध्य कार्य विभाजन कराते हुए भोजन तैयार कराया जायेगा।
- को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अवकाश अवधि के लिए ग्राम प्रधान द्वारा रसोइयों को हॉट कुक्ड मील बनाने हेतु निर्देश प्रदान करना।
- को–लोकेटड आंगनबाड़ी केन्द्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोइयों के खाते इत्यादि का विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारी को संलग्न प्रारूप (प्रारूप–7 संलग्न) पर उपलब्ध करायेंगे।
- हॉट कुक्ड मील की गुणवत्ता की परख कराना।
- को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का भोजन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की रसोई में तैयार कराने हेतु प्रधानाध्यापक व रसोइया को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने स्तर से निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण करना।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोई की साफ–सफाई सुनिश्चित कराया जाना।
- खण्ड शिक्षा अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे स्वयं प्रतिमाह 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों में हाट कुक्ड मील योजना संचालन का निरीक्षण करेंगे।
- अवकाश अवधि में विद्यालय की चाभी प्रधानाध्यापक से आंगनवाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी। इस अवधि में विद्यालय की सुरक्षा एवं टूट–फूट की समस्त जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकत्री की होगी।

9.6– बाल विकास परियोजना अधिकारी

- हाट कुक्ड मील प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर बनवाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- मानकों के अनुसार खाद्यान्न का उठान कराते हुए नमी–रहित सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करायेंगे।
- बफर स्टाक के रूप में एक माह के अतिरिक्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर निर्धारित प्रारूपवार प्रिन्टेड पंजिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित

- क्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं से प्राप्त सूचनाओं को बाल विकास परियोजना अधिकारी संकलित करते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि योजना के अनुश्रवण हेतु ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी प्रतिमाह अनिवार्य रूप से आयोजित करायें तथा बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करायेंगे।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों द्वारा भी प्रतिमाह 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- खाद्यान्न का सैंपल परियोजना कार्यालय पर रक्षित करायेंगे।
- सम्बन्धित कन्वर्जन्स विभागों से समन्वय स्थापित करायेंगे।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ब्लाक स्तरीय बैठक में हाट कुक्ड मील योजना के संचालन, रिपोर्टिंग/फीडिंग व समायोजन इत्यादि का नियमित गहन अनुश्रवण किया जायेगा। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों जहां पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हाट कुक्ड मील की आपूर्ति की जा रही है, वहां बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा विशेष सजगता बरतते हुए गर्म, ताजा एवं गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9.7— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

- को–लोकेटड आंगनबाड़ी केन्द्र के 03 से 06 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील पकाये जाने हेतु प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में यदि रसोइया की संख्या एक से अधिक है तो समस्त रसोईयों के मध्य कार्य विभाजन कराते हुए भोजन तैयार कराया जायेगा।
- को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अवकाश अवधि के लिए ग्राम प्रधान द्वारा रसोइयों को हॉट कुक्ड मील बनाने हेतु निर्देश प्रदान करना।
- को–लोकेटड आंगनबाड़ी केन्द्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोइयों के खाते इत्यादि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त करते हुए संकलित सूचना (प्रारूप–7) अपने हस्ताक्षर से जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- हॉट कुक्ड मील की गुणवत्ता की परख कराना।
- को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का भोजन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की रसोई में तैयार कराने हेतु प्रधानाध्यापक व रसोइया को सहयोग प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण करना।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोई की साफ–सफाई एवं हॉट कुक्ड मील हेतु प्रयुक्त होने वाली गुणवत्तापूर्ण भोजन की सामग्री आदि का ससमय क्रय करवाना।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे स्वयं प्रतिमाह 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों में हाट कुक्ड मील योजना संचालन का निरीक्षण करेंगे तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों से भी प्रतिमाह 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों में हाट कुक्ड मील योजना संचालन का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करायेंगे।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय बैठकों में हाट कुक्ड मील योजना से सम्बन्धित बिन्दुओं का समावेश करते हुए योजना के संचालन का नियमित गहन अनुश्रवण किया जायेगा।
- अवकाश अवधि में विद्यालय की चाभी आंगनवाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध कराये जाने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा।

9.8– जिला कार्यक्रम अधिकारी

- जनपद की परियोजनाओं में स्थित को–लोकेटेड तथा नॉन को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बनने वाले हॉट कुक्ड मील के नियमित संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हाट कुक्ड मील हेतु स्वयं सेवी संस्थायें नामित हैं, उनमें स्वयं सेवी संस्थाओं से नियमित सम्पर्क करते हुए केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण हाट कुक्ड मील उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- हॉट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत कन्वर्जन कास्ट/परिवर्तन लागत का भुगतान Child Account से आवश्यकतानुसार (वास्तविक लाभार्थियों के अनुसार) SNA के समस्त दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त "आई0सी0डी0एस0 केन्द्र–हॉट कुक्ड फूड निधि" में वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रसोईये के पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित माह की वास्तविक उपस्थिति अनुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी0एस0ए0) द्वारा उपलब्ध कराये गये रसोईयो के खातों में निर्धारित कास्ट नार्म्स के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी को "आई0सी0डी0एस0 केन्द्र–हॉट कुक्ड फूड निधि" अन्तर्गत समस्त अग्रिम भुगतान का समायोजन (Adjustment/Settlement) पी0एफ0एम0एस0 पर सुनिश्चित करना होगा। पूर्व में निर्गत अग्रिम धनराशि के समायोजन पश्चात् ही निदेशालय द्वारा अगली किश्त निर्गत की जा सकेगी।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि पूर्व में जनपद स्तरीय जिला पोषण समिति के टैम्पलेट उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके अनुसार प्रतिमाह समस्त विन्दुओं को शामिल करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कराने हेतु निर्देश निर्गत हैं। उक्त टैम्पलेट में हाट कुक्ड मील के बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए पृथक से समीक्षा करायी जाये तथा समीक्षा उपरान्त कार्यवृत्त निर्गत कराया जाय।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिगाह अनिवार्य रूप से आयोजित करायेंगे तथा बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करायेंगे। इसी के साथ–साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी प्रतिमाह अनिवार्य रूप से आयोजित करायें।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों द्वारा भी प्रतिमाह 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से खाद्यान्न सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम माह की 15 तारीख तक निदेशालय प्रेषित किया जायेगा तथा कनवर्जन कास्ट व रसोईया पारिश्रमिक सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र प्रत्येक 02 माह के उपरान्त अगले माह की 10 तारीख तक निदेशालय प्रेषित किया जायेगा (अर्थात अगस्त, सितम्बर सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र 10 अक्टूबर तक प्रेषित किया जायेगा)।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय बैठक में हाट कुक्ड मील योजना के संचालन, रिपोर्टिंग/फीडिंग व समायोजन इत्यादि का नियमित गहन अनुश्रवण किया जायेगा। इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों जहां पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हाट कुक्ड मील की आपूर्ति की जा रही है, वहां जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विशेष सजगता बरतते हुए गर्म, ताजा एवं गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10— योजना का अनुश्रवण

10.1 जनपद एवं ब्लाक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह में निर्धारित निरीक्षण अवश्य किये जायें तथा निरीक्षण में इंगित कमियों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

10.2 निदेशालय स्तर से नामित नोडल अधिकारियों के द्वारा हर माह में जनपदों के निरीक्षण किये जायेंगे। निरीक्षण के समय उनके द्वारा हॉट कुक्ड मील लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा योजना की गहन समीक्षा कर अपनी आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

10.3 अन्तर्जनपदीय निरीक्षण के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ ही निकटवर्ती जनपद में हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन का भौतिक सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

10.4 जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते समय हॉट मील योजना के संचालन का विशेष रूप से भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

10.5 हाट कुक्ड मील योजना संचालन में किसी भी प्रकार के विलम्ब, उदासीनता, अनियमितता, निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत सूचना/समायोजन/उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित न करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी।

11— दुर्घटना/आपदा प्रबन्धन

11.1 आंगनवाड़ी केन्द्र पर हाट कुक्ड मील से सम्बन्धित कोई दुर्घटना घटित होने पर सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा तत्काल मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराया जायेगा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तत्काल तथ्यात्मक स्थिति को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

कृपया अपने कुशल मार्गदर्शन में उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या : C-1021 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2— प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3— सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का संचालन सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें।
9– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का संचालन सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें।
10– गार्ड फाईल।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।